न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 21 / 2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018 / 00054

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
ताराचन्द पुत्र गणेशजी जाति दर्जी निवासी गढवाड़ा, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)		1. कमला पुत्री गणेशजी, जाति दर्जी, निवासी गढ़वाड़ा तहसील रोहट जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 25/8/2021

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा तहसील रोहट द्वारा मिसल संख्या 206 / 2004 प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.07.2004 की पालना में पारित पट्टा संख्या 1956 दिनांक 05.10.2004 के विरूद्व पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी का रहवासीय मकान बना हुआ है जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है व पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 जो प्रार्थी की बहिन है कम उम्र में विधवा हो जाने से अपनी नाबालिग पुत्री के साथ यहीं पर रहकर जीवनयापन करती थी। तथा प्रार्थी को उक्त रहवासीय मकान का पट्टा ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा द्वारा मिशल संख्या 32 / 1984–85 दायर दिनांक 09.09.1984 कायम कर विधिवत् रूप से पंचायत प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 13.12.1984 के अनुसार पट्टा संख्या 46 दिनांक 22.07.1987 जारी किया गया था। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने 2 से मिलावट कर कूटरचित तरीके से उक्त पट्टा संबंधी दस्तावेजों में काट छाँट कर अपना नाम दर्ज करवाया जो कि पत्रावली संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से पूर्णतया स्पष्ट है। तथा बाद में उक्त आराजी का पश्चातवृती पट्टा संख्या 1956 दिनांक 05.10.2004 जारी किया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को तब हुई जब अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 01.02.2018 को उपरोक्त रहवासीय मकान पर कब्जा करने हेतु आयी और पट्टे के आधार पर मकान को बेचाण हस्तान्तरण की धमकी दी व जैर निगरानी पट्टे की फोटोप्रति बताई। इस पर प्रार्थी द्वारा पूर्व में अपने नाम से पट्टा जारी हुआ होना बताने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने धमकी दी कि प्रार्थी के नाम से जारी पट्टा उसने चोरी कर लिया है व अब प्रार्थी के पास कोई कागजात शेष नहीं है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टा संख्या 46 व उससे संबंधित पत्रावली मिशल की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 05.02.2018 को प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 ने 2 से मिलावट कर प्रार्थी के नाम जारी पट्टा संख्या 46 व उससे संबंधित मिसल में कूटरचित प्रविष्टियां की तथा उसके बाद में पश्चातवृती पट्टा संख्या [illegible] दिनांक 05.10.2004 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया [illegible] पट्टा संख्या 46 व उससे संबंधित मिसल में काट छांट [illegible] बाबत प्रार्थी ने पुलिस [illegible] रोहट में प्रकरण संख्या 179 / 2018 दिनांक 1[illegible]2018 अन्तर्गत धारा [illegible] 464, 467, 468, 471, 120 बी., भारतीय दण्ड संहिता के दर्ज करवाया जिसमें प्रार्थीया ने अपने पूछताछ नोट में यह स्पष्ट रूप से स्वीकृत किया कि ग्राम पंचायत

क्रमश.....................2

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:35 IST
Reason: SelfAttested

गढवाडा द्वारा पट्टा संख्यां 46 जारी किया गया था। तथा अप्रार्थिया ने पूनः पट्टे के लिये आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टा व मिसल में नाम में ताराचन्द के स्थान पर कमला लिखा जाकर बिना नई मिशल कायम किये बिना कोई आपति इश्तिहार जारी किये पश्चातवृती पट्टा संख्या 1956 दिनांक 05.10.2004 पूनः जारी किया जो पंचायत राज नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थी ने अपने तर्कों की ताईद में न्यायिक दृष्टांत 2018(3) सी.जे. (सिविल) (राज.) 1689,) शिवजीराम बनाम हिराराम वगैरा व 2013 (2) डब्लु. एल. एन. 272 (राज.) पेश किए।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थिया का स्वयं का कब्जा है जो अप्रार्थिया के मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के तहत किये गये आवेदन पत्र, बिजली बिल, व जैर निगरानी आराजी के फोटोग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट है। तथा अप्रार्थिया के नाम जारी पट्टा व मिशल में नाम में क़ाट–छाँट होने से यह सिद्ध नही होता कि पट्टा जारी करते समय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है अथवा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय नियमों की अवहेलना की गई है। तथा प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी आराजी पंट्टा जारी करने के लगभग 14 वर्ष पश्चात तथा मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के तहत घर बनने के 6 वर्ष बाद निगरानी पेश की गई है जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावे तथा निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने तर्कों की ताईद में न्यायिक दृष्टांत 2008(2) डीएनजे (राज.) 735 पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त निगरानी में विचारणीय बिन्दु 3 है :–

1. पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है अथवा नहीं।
2. पट्टा जारी करते समय प्रक्रिया का पालन किया गया अथवा नहीं।
3. निगरानी निर्धारित समय सीमा में पेश की गई है अथवा नहीं।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

पत्रावली संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी का पट्टा ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा द्वारा मिशल संख्या 32 / 1984–85 दायर दिनांक 09.09.1984 कायम कर विधिवत् रूप से पंचायत प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 13.12.1984 के अनुसार पट्टा संख्या 46 दिनांक 22.07.1987 प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया जिसमे बाद में काट–छाँट कर अप्रार्थिया संख्या 1 का नाम अंकन किया गया है। तथा बाद में उसी आराजी का पट्टा संख्या 1956 दिनांक 05.10.2004 को पुनः अप्रार्थिया संख्या 1 के नाम से जारी किया गया। जो दोनों पट्टों में अंकित अड़ोस–पड़ौस अवलोकन से उसी आराजी के पट्टे होना पूर्णतया स्पष्ट है। अतः एक ही आराजी के एकं से अधिक पट्टे जारी किया जाना पंचायती राज अधिनियम 1994 का उल्लंघन होने से विधिसम्मत नहीं है। जैर निगरानी आराजी के हक हकूक का प्रश्न होना प्रतीत होता है जिस बाबत पक्षकारान सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है पंचायत निगरानी के जरिये नहीं।

अप्रार्थिया के [illegible] संख्या 1956 दिनांक 05.10.2004 जारी करते समय पंचायत [illegible] नियम 1994 के नियम 144 से 167 के अनुसार अप्रार्थि[illegible] आवेदन प्राप्त हुआ, कब मिसल कायम की गई, [illegible] गठन किया गया व कब आपति इश्तिहार जारी किया गया बयान [illegible]स–किस के लिए गए इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अतः इस बिन्दु पर निर्णय किया जाना संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:35 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश........................3

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

उक्त पश्चातवृती पट्टे के विषय में प्रार्थी को जानकारी 01.02.2018 को होना बताया है तथा निगरानी दिनांक 20.03.2018 को पेश की गई। वैसे निगरानी पेश करने की म्याद नहीं होती लेकिन युक्तीयुक्त समय में निगरानी पेश कर दी अत्यधिक व जानबूझकर देरीना पेश किया जाना स्पष्ट नहीं है। तथा प्रार्थी द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः म्याद के आधार पर निगरानी खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत गढवाड़ा तहसील रोहट द्वारा तथाकथित मिसल संख्या 206 / 2004 व प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.07.2004 की पालना में पारित पट्टा संख्या 1956 दिनांक 05.10.2004 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/8/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:35 IST
Reason: SelfAttested